

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को बेचान कर दिया गया है उक्त बेचान
विषयक श.स. 93 रुक 1.61 ईश्वर
ग्राम लालपुरा का नोमानुसख स. 399
दिनांक 11-2-2025 एवं नोमानुसख स-400
दिनांक 11-2-2025 के नाम स्वीकृत
होकर राजस्व रिपोर्ट जमावदी में दर्ज हो
चुका है अतः वादीगण का उक्त विषय
आशंका में कोई हित नहीं रह गया है
वाड स्वार्थिज करमाया जावे। वहीं
साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये प्रस्तुत
दस्तावेज के अवलोकन जमावदी समक
2074-2077 से स्पष्ट होता है कि
वादीगण द्वारा उक्त विषयक आशंका
श.स. 93 रुक 1.61 ईश्वर ग्राम लालपुरा
तहसील इन्दौर स्थित कृषि भूमि का
विक्रय अन्य को कर दिया गया है
वादीगण द्वारा स्वाहेदाती भूमि का विक्रय
किये जाने से वादीगण का कोई हित
नहीं रह गया है तथा वादीगण के काशतमें
आधिकार समाप्त हो गये है उक्त दस्तावेज
के आधार पर प्राथमिक पत्र 0-7-12-11
सी-पीसी स्वीकार किये जाकर वादीगण
का वाड स्वार्थिज किये जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर वाड तहसील साकेल
प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बुन्दी)

पत्रावली 342
12/11/25

मयू अजयरा व अन्य

- वाड